न्यायालयः: विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा.
उपस्थितः श्री रवीन्द्र सिंह, एच0जे0एस0
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 196 सन् 2014

सोनेलाल पुत्र तोताराम, निवासी– चौकी अतनपुर थाना राजा का रामपुर जिला एटा.

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

एस.एस.टी. सं. 34/2014
राज्य बनाम सतेन्द्र सिंह व एक अन्य
अपराध संख्या– 416 सन् 2013
धारा–364ए भा0द0सं0
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा

09.10.2014

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सोने लाल के द्वारा अन्तर्गत धारा 364ए, भा0द0सं0 अप0सं0 416/2014 थाना कोतवाली देहात, जिला एटा में यह प्रथम जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में तथा समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता– फौजदारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के अनुसार दिनांक 16.11.2013 को वादी अपने भाई उमाकान्त के साथ मैक्स पिकअप गाड़ी से जा रहा था। चांद पुर पुलिया के पास दो अज्ञात सवारियों ने गाड़ी से उतर कर कटटा निकालकर चालक को अपनी गांड़ी में बैठाल कर उठा ले गये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूॅठा फंसाया गया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दि0 21.01.2014 को विवेचक को दिये गये ब्यान के अन्तर्गत अपहरण में किसी भी व्यक्ति का नाम या हुलिया नहीं बताया गया है। विवेचक को पुनः दि0 23.02.2014 को दिये गये ब्यानों में पांच व्यक्तियों को अपहरण की घटना के लिए नामित किया है परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उन लोगों में भी नहीं है। गांव के प्रधान ने रजिशंन झूॅठा मुकदमा बनवाकर फंसाया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता– फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों तथा केस डायरी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं ।

दि0 21.01.2014 को विवेचक को दिये गये ब्याना के अन्तर्गत अपहरण में किसी भी व्यक्ति का नाम या हुलिया नहीं बताया गया है। विवेचक को पुनः दि0 23.02.2014 को दिये गये ब्यानों में पांच व्यक्तियों को अपहरण की घटना के लिए नामित किया है परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उन लोगों में भी नहीं है। गांव के प्रधान ने रजिशंन झूॅठा मुकदमा बनवाकर फंसाया जाना बताया गया है। इन परिस्थितियों में मामले के गुण दोषपर कोई प्रेषण नहीं करते हुए प्रार्थी /अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। तदनुसार यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त सोनेलाल को, उसके द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान राशि की दो जमानत दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(रवीन्द्र सिंह)
विशेष न्यायाधीश,(द.प्र.क्षे.),
एटा.
09.10.2014